"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 मार्च 2007—फाल्गुन 10, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2007

संशोधित अधिसूचना

फा. क्रमांक 1904/डी-679/21-ब/छ. ग./07.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्र. 1607/डी-362/21-ब/छ.ग./07, दिनांक 15-02-07 में निम्नानुसार लिपिकीय त्रुटि संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

शब्द "सत्र न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "विशेष न्यायाधीश एस. सी./एस. टी." स्थापित किया जावे.

Raipur, the 26th February 2007

AMENDMENT NOTIFICATION

F. No. 1904/D-679/XXI-B/C. G./07.—In department Notification No. 1607/D-362/XXI-B/C. G./06, dated 15-02-07, the State Government makes the following amendment of clerical error :—

AMENDMENT

In said Notification,—

For the words "Session Judge" the words "Special Judge SC/ST" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.